न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 70/2018 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

दिलशाह पुत्री श्री बलवन्त उर्फ बलवान पत्नी श्री हरपाल जाति जाट निवासी लालपुरा हाल निवासी गुडियाखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।

–प्रार्थीया

बनाम

बलवन्त उर्फ बलवान पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

उपस्थित:– श्री गौरीशंकर वर्मा वकील–प्रार्थीया
श्री कृष्णकुमार वकील–अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 26/5/2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 10.07.2018 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि प्रार्थीया के पड़दादा रामरख व दादा जगमाल की 1955 से पूर्व की कब्जा कास्त की भूमि रोही मौजा लालपूरा में स्थित थी जो बाद फौतगी रामरख व जगमाल के उनके पुत्रो अप्रार्थी व बद्रीप्रसाद के नाम से सांझा खाता में रोही मौजा लालपुरा के खाता संख्या 103/177 के प0न0 243/435 (182) के किला न0 7/2 ता 14, 17 ता 24 की 3.6770 है0 बारानी प0न0 243/436 (208) के किला नं. 1 ता 4 की 1.0120 है0 बारानी कुल 4.6890 है. बारानी व खाता संख्या 106/97 के प0न0 242/431(141) के किला नं0 15 ता 19, 22 ता 25 की 2.0490 है0 बारानी, प.नं. 242/432 (156) के कि किला नं. 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14/1, 17/2 ता 19/1 की 2.6590 है0 बारानी कुल 4.7080 है0 बारानी इस प्रकार कुल सादादी 9.3970 है बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में विरास्तन दर्ज हुई जिसके अप्रार्थी व बद्रीप्रसाद ब.हि.ब. 1½ हिस्से के हिस्सेदार खातेदार कास्तकार है। अप्रार्थी व बद्रीप्रसाद के नाम दर्ज सांझा खाता की कुल 9.3970 है. बारानी कृषि भूमि में से प्रार्थीया के पिता बलवन्त उर्फ बलवान अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा के मुताबिक 4.6985 है0 बारानी राजस्व रिकोर्ड में बनता है। जिसमें से प्रार्थीया व अप्रार्थी व राजेन्द्र व बिमला अप्रार्थी बलवन्त उर्फ बलवान के हिस्से की 4.6985 है0 बारानी कृषि भूमि के ब हिस्सा बराबर पैदाईसी हकदार काश्तकार 1/4 हिस्से के हिस्सेदार है। प्रार्थीया व अप्रार्थी बालिग है अपने हिस्से की कृषि भूमि पर स्वयं काश्त कर रहे व करवा रहे है। अप्रार्थी उम्रदराज होने तथा गलत सौहबत में पड़ने व अप्रार्थी के अपने पुत्र राजेन्द्र के बहकावे में आने की वजह से अपने नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज पैतृक सम्पति जिसमें प्रार्थीया का भी हिस्सा है. मे से अच्छी अच्छी भुमि अप्रार्थी [illegible] बहकावे में आकर किसी अन्य को बेचान रहन कर मुन्तकिल करना [illegible] खाता विभाजन ऐसा किया जाना विधि विरूद्ध है। प्रार्थीया माननीय न्यायालय [illegible] जरिये ब हिस्सा बराबर अपने हक की सीमा तक स्वयं को खातेदार कास्तकार घोषित [illegible] कर राजस्व रिकोर्ड में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है चूंकि अप्रार्थी विधिक अधिकारो के बिना अच्छी अच्छी भुमि का हस्तातरण करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थीया उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने की अधिकारी है खाता विभाजन करवाये बिना भुमि के किसी भी हिस्से का बेचान, रहन अथवा किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने से अप्रार्थी निषेद्ध रहे। भुमि का खाता विभाजन नहीं होने से भूमि की काश्त राजस्व अदायगी एवंम अन्य विवाद समस्त संयुक्त खातेदारो के मध्य रहते है जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि पैतृक तमाम कृषि भूमि का अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी के हिस्साब से खाता विभाजन करवाकर मुताबिक खाता विभाजन राजस्व रिकोर्ड में अंकन व उसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में राजस्व की राशि, कास्त व नक्शा कायम किया जाना आवश्यक है ताकि समस्त प्रकार से विवाद समाप्त हो सके। प्रार्थीया दिनांक 06.07.2018 को अप्रार्थी से मिली तथा निवेदन किया कि खाता विभाजन कर राजस्व रिकोर्ड में अकन, राजस्व राशि व कास्त गिरदावरी अलग अलग जारी करवा लेवे तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से स्पष्ट मनाकर दिया तथा अप्रार्थी व उसके पुत्र राजेन्द्र ने उक्त भूमि में से अच्छी अच्छी भूमि को रहन बैय करने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की दादालाई कृषि भूमि हैं जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुख सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी लालपुरा बहक बद्री वगैरह, फोटोप्रति पर्चा खतौनी गन्धेली बारानी बहक रामरख वगैरह पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये वकील श्री कृष्णकुमार उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में लिखा कि "प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की मद सं. 1 जिस तरह प्रार्थीया ब्यान करती है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थीया तसलीम नही है क्योकि उक्त वाद में प्रार्थीया की कामयाब होने की कोई उम्मीद नही है। मद सं. 2 में दर्शाया गया कुर्सीनामा अधुरा है इसलिए तसलीम नहीं है। मद सं. 3 जिस तरह प्रार्थीया ब्यान करती है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थीया तसलीम नही है। मद सं. 4 जिस तरह प्रार्थीय ब्यान करती है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थीया तसलीम नहीं है क्योंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की मद सं. 3 में दर्ज भूमि अप्रार्थी की सवअर्जीत भुमि है तथा अप्रार्थी के जीवनकाल में उक्त भूमि में किसी भी व्यक्ति का कोई भी हक हिस्सा नहीं हो सकता खुलासा उजरात मजीद में दर्ज है। मद सं. 5 जिस तरह प्रार्थीया ब्यान करती है बवजह गलत ब्यानी [illegible] तसलीम नहीं है अप्रार्थी के नाम जो वर्तमान में भूमि है वह उसकी स्वअर्जीत भूमि है तथा अप्रार्थी सोचने समझनें में पुर्ण रूप से स्वस्थ है तथा वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है तथा अप्रार्थी ने अपनी स्वतंत्र ईच्छा से उक्त भुमि का दानपत्र दावा में प्रतिवादी स० [illegible] के पक्ष में करवा दिया है जिन्हे करवाने का अप्रार्थी को पुर्ण अधिकार था तथा उक्त दानपत्र के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

उक्त भूमि का कब्जा काश्त भी अप्रार्थी के पास है उक्त भूमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा उक्त दान पत्र अप्रार्थी नें दावा में प्रतिवादी नं. 3 के पक्ष में करवाये थे तथा जब प्रार्थीया का उक्त भुमि में कोई हक व हिस्सा नही है तो उसके पक्ष में खाता तकसीम होने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा प्रार्थीया मुझ अप्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है। मद सं. 6 बवजह गलत ब्यानी प्रार्थीया तसलीम नही है तथा उक्त मद महज वाद को रंग देने के लिये व झुठी बिनाय मुखास्मत हालिस करने की गर्ज से तहरीर की गई है। मद सं. 7 जिस तरह प्रार्थीया ब्यान करती है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थीया तसलीम नहीं है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिले खारीज है। उजरात मजीद में लिखा कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कि मद सं. 3 में दर्ज भूमि मे से अप्रार्थी के नाम जो भूमि दर्ज है वह हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्राप्त हुई है नं की धारा 6 के तहत यानी उक्त भूमि अप्रार्थी को मृतक जगमाल का प्रथम श्रेणी का जायज कानुनी वारीसान होने के नाते प्राप्त हुइ थी न की बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु परिवार। प्रार्थीया नें उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया है जो काबिले खारिज है। प्रार्थीया को मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध वाद कारण हासिल नही है। क्योंकि उक्त भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है तथा अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थीया या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी हक व हिस्सा प्राप्त नही हो सकता। वाद मात्र इस्तकरार हक कब्जा के अभाव में चलने योग्य नही है तथा वाद प्रार्थीया इसी आधार पर काबिले खारिज है। वाद प्रार्थीया Better Particular के अभाव में काबिले खारिज है। क्योकि प्रार्थीया नें अपने वाद में यह कहीं भी नही दर्शाया है की अप्रार्थी के नाम वर्तमान में जो भूमि दर्ज है वह भूमि किन किन व्यक्तियों से कैसे कैसे प्राप्त हुई तथा प्रार्थीया का वाद ही चलने योग्य नही है तो उसपर आधारित प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त भूमि का किसी भी श्रेणी का टिनेंट नही है तथा वाद प्रार्थीया इसी आधार पर काबिले खारिज है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।"

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया के पड़दादा रामरख व दादा जगमाल की 1955 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा लालपूरा में स्थित थी जो बाद फौतगी रामरख व जगमाल के उनके पुत्रों अप्रार्थी व [illegible] के नाम से सांझा खाता में विरास्तन दर्ज हुई जिसके अप्रार्थी [illegible] के हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थीया का [illegible] निहित है। हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के निबंधनों के अनुसार कोई [illegible]ाहित पुत्री भी अपने मृतक दादा अथवा पिता जिसकी निर्वसीयत में मृत्यु हो गई, की सम्पति की उतराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

होने का हक रखने वाली प्रथम वर्ग की उतराधिकारी है। इस प्रकार वादीया विवाहित पुत्री है, अपने मृतक दादा अथवा माता पिता की सम्पति में उतराधिकारी होने की हकदार है।(हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 व धारा 15क) श्रीमति नारायणी बाई बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, AIR 2004 P&H 206 में विवाहित पुत्री का अधिकार का स्पष्टता सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। वादीया का उक्त भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा है क्योकि मृतक दादा जगमाल के नाम रहने के दौरान ही वादीया का जन्म हो चुका था। इस प्रकार वाद भूमि में वादीया का जन्म से ही हक हिस्सा है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे।

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम जो वर्तमान में भूमि है वह उसकी स्वअर्जीत भूमि है तथा अप्रार्थी सोचने समझनें में पुर्ण रूप से स्वस्थ है तथा वह शारीरीक रूप से भी स्वस्थ है तथा अप्रार्थी नें अपनी स्वतंत्र ईच्छा से उक्त भुमि का दानपत्र दावा में प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में करवा दिया है जिन्हे करवाने का अप्रार्थी को पुर्ण अधिकार था तथा उक्त दानपत्र के आधार पर उ़क्त भूमि का कब्जा काश्त भी अप्रार्थी के पास है उक्त भूमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा उक्त दान पत्र अप्रार्थी नें दावा में प्रतिवादी नं. 3 के पक्ष में करवाये थे तथा जब प्रार्थीया का उक्त भुमि में कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थी के नाम जो भूमि दर्ज है वह हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्राप्त हुई है नं की धारा 6 के तहत यानी उक्त भूमि अप्रार्थी को मृतक जगमाल का प्रथम श्रेणी का जायज कानुनी वारीसान होने के नाते प्राप्त हुई थी न की बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु परिवार। प्रार्थीया नें उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया है जो काबिले खारिज है। प्रार्थीया को मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध वाद कारण हासिल नही है। क्योंकि उक्त भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है तथा अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थीया या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी हक व हिस्सा प्राप्त नही हो सकता। वाद मात्र इस्तकरार हक कब्जा के अभाव में चलने योग्य नही है तथा वाद प्रार्थीया इसी आधार पर काबिले खारिज है। वाद प्रार्थीया Better Particular के अभाव में काबिले खारिज है। क्योकि प्रार्थीया नें अपने वाद में यह कहीं भी नही दर्शाया है की अप्रार्थी के नाम वर्तमान में जो भूमि दर्ज है वह भूमि किन किन व्यक्तियों से कैसे कैसे प्राप्त हुई तथा प्रार्थीया का वाद ही चलने योग्य नही है तो उसपर आधारित प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेध[illegible] टिनेंट नही है तथा वाद प्रार्थीया इसी आधार पर काबिले खारिज है। इ[illegible]ये प्र[illegible] पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि वाद भूमि पैतृक

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी का कथन है कि वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि ना होकर अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के पिता जगमाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम विरास्तन दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रार्थीया के हक हिस्सा का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि लिये जाकर ही निर्धारित किया जाना है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थी के नाम सांझा खाता में दर्ज है। इसलिये सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन रहने से सहकाश्तकारान के हक हिस्सा प्रभावित होते है। प्रार्थीया के हक हिस्सा का निर्धारण अप्रार्थी बलवन्त के हक हिस्सा की भूमि में से होना है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है लेकिन स्थगन सम्पूर्ण भूमि पर होने से अप्रार्थी व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकारान के हित प्रभावित होते है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आशिंक स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी बलवन्त के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से प्रार्थीया के 1/4 हिस्सा तक कनफर्म की जाती है तथा शेंष भूमि से अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 26/5/2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
रावतसर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

क्रमांक 498 दिनांक 26/05/2025
दर.देने की तारीख do
नकल तैयार करने की दिनांक do
नकल देने की दिनांक do
नकल लेने वाले का नाम [illegible]
नकल फीस 10/-
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:36 IST
Reason: SelfAttested